न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 358 / 2025

दायर दिनांक 01.07.2025

निर्णय दिनांक 15-12-2025

उनवान

1. श्रीमती डाली बाई पत्नी रतन लाल गाडरी, नि. बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती नारायणी पूर्बिया पुत्री रतनलाल गाडरी, नि. किशनावतों की खेडी तह. व जिला भीलवाडा।
3. श्री राजू लाल पूर्बिया पुत्र रतनलाल गाडरी, नि. बिलियाखुर्द तह0 व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती सरजू देवी पत्नी भूरा गाडरी, निवासी बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री सुरेश पूर्बिया पुत्र रतन लाल गाडरी, नि0 बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।

-- **प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

-- **विपक्षी**

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री हुनमान सिंह राणावत उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से पैराकार सरकार।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भोपालगढ पटवार हल्का भोपालगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा के जमाबन्दी सम्वत 2071–74 की खाता संख्या नया 442 व पुराना खाता संख्या 433 में वर्णित खसरा नम्बर 3062/160 कुल किता 01 कुल रकबा 1.3277 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी हक अधिकार आधिपत्य की होकर उक्त आराजीयात में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/10 हक हिस्सा निहित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकारों से दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में मृतक रतन लाल के नाम पर थी तथा रतन लाल के देहान्त के बाद प्रार्थीगण जो कि रतन लाल के पुत्र, पुत्री, माता व पत्नी होकर विधिक वारिसान है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे कास्त व हक अधिकार आधिपत्य में होकर प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग बहैसियत मालिक निरन्तर करते चले आ रहे है किन्तु राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम पिता/पति के नाम पते गलत दर्ज है जो कि इस प्रकार हैः– प्रार्थीया संख्या 01 का नाम डाली पुत्री रतन लाल अंकित किया हुआ है जबकि प्रार्थीया संख्या 01 का सही नाम डाली बाई पत्नी रतन लाल है और राजस्व रेकॉर्ड में डाली बाई पत्नी रतन लाल होना चाहिये। प्रार्थी संख्या 02 का नाम नाराणी पुत्री रतन लाल लिखा हुआ है जबकि प्रार्थी संख्या 02 का सही नाम नारायणी पूर्बिया पुत्री रतन लाल निवासी किशनावतो की खेडी है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी संख्या 03 राजु लाल पूर्बिया का नाम राजु अंकित किया हुआ है जबकि प्रार्थी संख्या 03 का पूरा व सही नाम राजू लाल पूर्बिया है, प्रार्थीया संख्या 04 सरजू पत्नी रतन लाल अंकित कर रखा है जबकि रतन लाल सरजू का पुत्र है एवं सरजू का सही नाम सरजू पत्नी भूरा पूर्बिया है और राजस्व रेकॉर्ड में सरजू पत्नी भूरा पूर्बिया अंकित होना चाहिये था।इसी प्रकार सभी प्रार्थीगण का पता किशनावतो की खेडी दर्ज है जबकि प्रार्थी संख्या 01, 03, 04, 05 का बिलियाखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा के निवासी है और सभी प्रार्थीगण के पते में भी किशनावतो की खेडी के स्थान पर बिलियाखुर्द होना चाहिये। इस प्रकार उक्तानुसार प्रार्थीगण के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में नाम, पिता/पति का नाम, पता संशोधन कर दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर शुद्धिकरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 1973 दिनांक 07.08.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम भोपालगढ की आराजी नम्बर 3062/160 रकबा 1.3277 हैक्टेयर भूमि में डाली पुत्री रतन लाल गाडरी सा0 किशनावतों की खेडी अंकित है जबकि आधार कार्ड में डाली पत्नी रतन लाल दर्ज है एवं अन्य खातेदार सरजू पत्नी रतनलाल गाडरी दर्ज है जबकि आधार कार्ड अनुसार सही नाम सरजू देवी पत्नी भूरा गाडरी दर्ज है। अतः खातेदारों का नाम आधार कार्ड अनुसार सही दर्ज करने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस, विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गय पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का नाम **डाली पुत्री रतनलाल गाडरी के बजाय डाली पत्नी रतनलाल गाडरी एवं प्रार्थीया सरजू देवी पत्नी रतनलाल गाडरी के बजाय सरजू देवी पत्नी भूरा गाडरी** संशोधित किये जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम भोपालगढ की आराजी नम्बर 3062/160 रकबा 1.3277 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम **डाली पुत्री रतनलाल गाडरी के बजाय डाली पत्नी रतनलाल गाडरी एवं प्रार्थीया सरजू देवी पत्नी रतनलाल गाडरी के बजाय सरजू देवी पत्नी भूरा गाडरी** इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा